डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–443 / 2018

1. कृष्ण पुत्र बनवारीलाल जाति नाई निवासी बेहरवाला खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा। –वादी

बनाम्

1. बनवारीलाल पुत्र हरीराम
2. मोहनलाल पुत्र बनवारीलाल

} जाति नाई निवासी बेहरवाला खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

3. बिरमा पत्नी साहबराम पुत्री बनवारीलाल
4. माया पत्नी सुरेन्द्र पुत्री बनवारीलाल

} जाति नाई निवासीयान कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़। –प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर प्रसाद वर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री करनैलसिंह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से चक नं0 3 बीआरडब्ल्यू के खाता सं0 100 / 88 में कुल 1.518 है0 आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं0 3 बीआरडब्ल्यू के खाता सं0 100 / 88 में से प्रतिवादी सं0 1 बनवारीलाल का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज......निल.....मुब्लिक........निल.....बाबत्.....निल......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 28-1-2019 अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 28-1-2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner